

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण**

**2 किलो 100 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 किलो 100 ग्राम अवैध गॉजा के साथ एक अभियुक्त नाम पता दिलीप कुमार पुत्र पंचगुलाम निवासी कम्हरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 414/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

**10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता रामनेवास पुत्र राजबली निवासी उत्तरपट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 319 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**मारपीट करने के मामले में बाल अपचारी गिरफ्तार**

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 213/19 धारा 313/323/504 भा0द0वि0 के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता रोहित यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी कानापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा दिनांक 2.05.2019 को वादी की बहन के साथ मारपीट व गाली गुप्ता करने से वादी के बहन का गर्भ नष्ट हो हो गया था जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 12.11.2020 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता इसहाक पुत्र अब्दुल्लाह निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 344/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षों में मारपीट/ विवाद को कराया गया शान्त** – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत नरायनपुर से इवेन्ट संख्या 02850 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 19 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** – मु0आरक्षी दिनेश यादव, म0आ0 ममता यादव, हो0चा0 सोमनाथ यादव ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 215 वाहनो से 206000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 12-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 215 वाहनो से 206000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 12.11.2020

**पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित बौरव्यास पुलिस चौकी का किया गया उद्घाटन**

पुलिस अधीक्षक जनपद सन्तकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह द्वारा आज दिनांक 12-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित बौरव्यास पुलिस चौकी का विधिवत पूजा-अर्चन के साथ लोकार्पण कर उक्त पुलिस चौकी को जनता की सेवा हेतु समर्पित किया गया तथा थाना धर्मसिंहवा के नवनिर्मित प्रभारी कक्ष व आरक्षी बैरक मेस का भी फीता काटकर उद्घाटन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चौकी परिसर में एक पौधरोपण भी किया गया तथा थाना धर्मसिंहवा क्षेत्र के स्थानीय चौकीदारों को दिपावली पर्व के अवसर पर उपहार भी भेंट किया गया । इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री रामप्रकाश, थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री धर्मेन्द्र तिवारी, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव, प्रभारी चौकी बौरव्यास उ0नि0 श्री सुनील सिंह, उ0नि0 श्री अमला यादव सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।